न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या–228 / 2026
फारबिसगंज थाना कांड संख्या–39 / 2026

मो0 साहिद.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

24-04-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक / अभियुक्त मो0 साहिद की ओर से फारबिसगंज थाना कांड संख्या 39 / 2026, अंतर्गत धारा 312 भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 26. 01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री के0एम0 सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक मो0 इकबाल के अनुसार यह है कि दिनांक 24.01. 2026 की रात्रि करीब 12 बजे पांच अज्ञात अपराधकर्मी अपने–अपने चेहरे को मोफलर एवं गमछा से मुंह ढंककर बांधे हुए थे। उक्त अपराधकर्मी में से दो व्यक्ति उसकी पत्नी को कब्जे में करके कनपट्टी पर कट्टा सटा दिया और अन्य दो व्यक्ति उसके कमरे में रखा ट्रंक को खोलने का प्रयास किया। जब अपराधकर्मी भागने लगा तो ग्रामीणों द्वारा उक्त अपराधकर्मियों में से एक अपराधी को पकड़ा गया। उक्त अपराधी को पकड़ने के क्रम में एक बालक खालिक उर्फ गुल्लु के उपर उक्त उपराधी द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मो0 साहिद बताया। सुबह होने पर अन्य ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गांव के मिलिक धार के पास पहुंचे तो देखे कि एक अपराधी का शव नदी में पड़ा हुआ है। शव की पहचान मिमतुल्लाह के रूप में हुई है। अपराधीयों द्वारा भागने के क्रम में तीन–चार राउंड फायरिंग भी किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इसके अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। अभियुक्त को गलत

तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। प्राथमिकी में सूचक के घर से किसी प्रकार का कोई लूटपाट का आरोप नहीं है और यह केवल कथित घटना को अंजाम देने के लिए प्रयास का मामला है। आवेदक दिनांक 26.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर डकैती करने का आरोप लगाया गया है तथा डकैती के दौरान छोटे बच्चे को गोली भी लगी है। यद्यपि कि उसका जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। केस डायरी में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। आवेदक का दो आपराधिक इतिहास है। आवेदक ने अपने संस्वीकृति बयान में घटना को स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।